बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०स०:–2/अ0प्र0–01–109/2021 39 /पटना, दिनांक :– 10.5.23

श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, कार्य प्रशाखा, पुनपुन के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 857 दिनांक 07.08.2021 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित करते हुए कि श्री कुमार द्वारा संचालित कार्यों की मापी, Routine Inspection, Maintenance Inspection, Vent Clearence, E-marg, इत्यादि का पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है तथा कोई प्रतिवेदन प्रमंडल में समर्पित नहीं किया जाता है, साथ ही मोबाईल पर आये Call का ससमय जबाव नहीं देते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तदालोक में विभागीय पत्रांक 1039 अनु0 दिनांक 09.08.2021 द्वारा श्री कुमार को तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. श्री कुमार द्वारा ससमय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। तद्आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या–33–सह–पठित ज्ञापांक–1116 दिनांक 13.08.2021 द्वारा इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

3. श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–16.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसपर विभागीय पत्रांक–1432 अनु0 दिनांक–01.10.2021 द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी से कंडिकावार मंतव्य की माँग की गई।

4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 963 दिनांक 04.09.2021 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समर्थन में साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। साथ ही पत्रांक 1179 दिनांक 23.11.2021 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर कंडिकावार मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य योग्य होने का उल्लेख करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा की गयी।

5. श्री कुमार द्वारा निलंबन आदेश पर पुनर्विचार करने संबंधी समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 05.10.2021 एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या–05–सह–पठित ज्ञापांक–231 दिनांक 04.02.2022 द्वारा श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया। साथ ही इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही का संचालन का निर्णय लिया गया।

6. उक्त के निमित्त श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 620 अनु0 दिनांक 23.03.2023 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

7. श्री कुमार के पत्रांक शून्य दिनांक 31.03.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्र के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 28.12.2020 को स्पष्टीकरण कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया था। श्री कुमार द्वारा call details भी संलग्न करते हुए कहा गया कि इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि फोन नहीं उठाने संबंधित आरोप साक्ष्यविहिन है। प्रमंडल के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की स्वतः निरीक्षण एवं मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर विपत्र उपस्थापित किया जाता रहा है एवं प्रमंडल स्तर पर होने वाले कार्य के डी0पी0आर0 एवं सर्वे कार्य को संपादित किया गया है, जिसकी जॉच अभिलेखों से की जा सकती है। आरोप पत्र के साथ संलग्न किये गये कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 1179 दिनांक 23.11.2021 के संबंध में श्री कुमार द्वारा कंडिकावार तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया

कि कार्य का पर्यवेक्षण Routine Maintaince, Vent Clearence इत्यादि कार्य समय पर नहीं किये जाने के कारण उन्हें बार–बार मौखिक एवं लिखित रूप से स्मारित किये जाने एवं कार्य में अभिरूचि नही लिए जाने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता–1 एवं अभियंता प्रमुख को पत्र लिखे जाने संबंधी तथ्य साक्ष्य आधारित नहीं है। क्योंकि आरोप पत्र गठन नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आरोप विशिष्ट प्रकृति के होना चाहिए लगाये गये आरोप में ना तो योजना का भाग एवं ना ही योजनावार त्रुटियों का ही उल्लेख है, जिससे कि स्थिति स्पष्ट किया जा सके। Call Details के संबंध में भी श्री कुमार द्वारा साक्ष्यविहिन होने का उल्लेख किया गया। साथ ही PMGSY का एक पथ DPR उनके लापरवाही के कारण नहीं बन पाने एवं उसे स्थगित करने की स्थिति होने संबंधी आरोप को साक्ष्य आधारित नहीं बताते हुए कहा गया है कि विशेष कर उक्त बिन्दु पर कारवाई की गयी थी।

8. श्री कुमार के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित तथ्य एवं इसके समर्थन में उपलब्ध कराये गये कागजात तथा इस आलोक में श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी द्वारा योजनाओं के संबंध में विशिष्ट योजनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, साथ ही फोन कॉल का जबाव नहीं दिये जाने से संबंधित विशिष्ट समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है, तथापि कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के पत्रांक 963 दिनांक 04.09.2021 के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से श्री कुमार द्वारा कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी अन्तर्गत मामले में आंशिक शिथिलता परिलक्षित होती है।

9. अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रश्नगत् मामले के सम्यक विचारोपरान्त श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, सम्प्रति कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को चेतावनी संसूचित की जाती है।

16/5/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–109/2021 1208 /पटना, दिनांक :– 16.5.23

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/23

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–01–109/2021 1208 /पटना, दिनांक :– 16.5.23

प्रतिलिपि:– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/बेतिया/आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी/आरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी, सम्प्रति कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/23

अभियंता प्रमुख